न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 19/2023 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये प्रेमचन्द खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा

बनाम

1. राकेश राठी पिता रामेश्वरलाल राठी मैसर्स राठी ट्रेडिंग कम्पनी, हाल बाजार नं. 03, भोपालगंज, भीलवाडा
2. रामेश्वरलाल राठी पुत्र शंकरलाल राठी मैसर्स राठी ट्रेडिंग कम्पनी, हाल बाजार नं. 03, भोपालगंज, भीलवाडा
3. मैसर्स राठी ट्रेडिंग कम्पनी, हाल बाजार नं. 03, भोपालगंज, भीलवाडा
4. अंकित गुप्ता पुत्र कमलेश कुमार गुप्ता मैसर्स श्री विनायक, सेन्ट्रल कॉलोनी, दुकान नं. 18–19, प्लॉट नं. 81, रोड नं. 8, वी.के. आई. जयपुर
5. श्री विनायक, सेन्ट्रल कॉलोनी, दुकान नं. 18–19, प्लॉट नं. 81, रोड नं. 8, वी.के. आई. जयपुर
6. शिखा गोयल पत्नी अनुज गोयल, ए एस फूड, बी–2/40 ए, लॉरेंस रोड, केशव पुरम, नोर्थ वेस्ट, देहली
7. ए एस फूड, बी–2/40 ए, लॉरेंस रोड, केशव पुरम, नोर्थ वेस्ट, देहली
8. राजेश कुमार शोर्य, मिल्क फूड लिमि., 5 फ्लोर, 91, भण्डारी हाउस, नेहरू प्लेस, नयी दिल्ली
9. मिल्क फूड लिमि., 5 फ्लोर, 91, भण्डारी हाउस, नेहरू प्लेस, नयी दिल्ली

– प्रार्थी

विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51

उपस्थित–

1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार

2 श्री पवन कुमार, मिल्क फूड कम्पनी प्रतिनिधि – विपक्षीगणों की ओर से

आदेश

दिनांक 13.10.2023

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.07.2011 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवदेन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने बाबत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा में पेश किया।

जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षी राकेश राठी पिता रामेश्वरलाल राठी मैसर्स राठी ट्रेडिंग कम्पनी, हाल बाजार नं. 03, भोपालगंज, भीलवाडा द्वारा सबस्टैण्डर्ड का घी का विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 25.05.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 27.07.2023 को कार्यालय हाजा में स्वंय या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मिल्क फूड कम्पनी की ओर से जवाब एवं दस्तावेजात पेश किये गये। दौराने बहस विभागीय पेरोकार एवं विपक्षी तथा कम्पनी प्रतिनिधि उपस्थित है।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना घी सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरूद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा नमूना लिये जाने वाली फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया, जिसके संदर्भ में विपक्षी कंपनी द्वारा नमूने के द्वितीय भाग को रेफरल लेबोरेट्री में जांच हेतु भिजवाने का निवेदन किया गया। जिस पर उक्त जांच नमूना रेफरल लेबोरेट्री पुणे भिजवाया गया। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर एवं रेफरल फूड लेबोरेट्री पुणे से प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने घी में Test For Foreign Fat – Foreign Fat Present (Fatty Acid Profile OF Sample Does Not Match With The Fatty Acid Profile OF Ghee) पाया गया, जबकि स्टैण्डर्ड मात्रा Foreign Fat Absent होना चाहिए। इसलिए लिये गया खाद्य नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा सबस्टेण्डर्ड घी का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी संख्या 01 से लगायत 07 उक्त घी पैक अवस्था में खरीदते हैं एवं पैक अवस्था में विक्रय किया जाता हैं, जिससे विपक्षीगण संख्या 01 से लगायत 07 पर लगाये गये आरोप बेबुनियाद हैं एवं आरोप से मुक्त किये जाने योग्य ठहरते हैं। विपक्षी संख्या 08 व 09 पर लगाये गये आरोप के संबंध में यह निवेदन हैं कि भारत का राजपत्र पार्ट तृतीय सेक्शन 4 अनुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(... अधिनियम 2006)

दिल्ली द्वारा राजपत्र दिनांक 27. दिसम्बर 2021 अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता प्रचालकों को 1 जुलाई 2022 इन सभी विनियमों के सभी प्रावधानों का अनुपालन करना होगा। घी के फैटी एसिड के संबंध में इन विनियमों के राजपत्र में प्रकाशन के 2 वर्ष पश्चात् प्रवत् होगें। इस प्रकार उक्त राजपत्र अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर एवं रेफरेल लेबोरेट्री पुणे द्वारा विपक्षी पर लगाया गया आक्षेप निराधार ठहरता हैं एवं घी में पाया गया फोरेन फैट की जांच उक्त राजपत्र प्रकाशन के दो वर्ष पश्चात् अमल में लायी जा सकेगी, जिससे इस प्रकरण में विपक्षीगण के विरूद्व कार्यवाही ड्रोप की जावे। प्रकरण के संदर्भ में नजीर के रूप में मान. न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर उत्तर जयपुर के प्रकरण संख्या 36/2022 निर्णय दिनांक 13.02. 2023 के निर्णय प्रति प्रस्तुत हैं। निवेदन हैं कि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोप निराधार, कानून के विपरीत एवं बेबुनियाद होने से प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रोप की जाने के आदेश फरमावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिस अनुसार पाया गया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी भीलवाडा ने उक्त प्रकरण खाद्य प्रयोगशाला अजमेर एवं रेफरल लेबोरेट्री पुणे से प्राप्त जाँच रिर्पोट अनुसार विक्रेता से जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, घी (मिल्क फूड) निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण सबस्टेण्डर्ड होने से प्रकरण दर्ज कराया गया। पत्रावली पर उपलब्ध एवं विपक्षी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का पूर्ण परीक्षण उपरांत पाया गया कि भारत का राजपत्र पार्ट तृतीय सेक्शन 4 अनुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा राजपत्र दिनांक 27. दिसम्बर 2021 अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता प्रचालकों को 1 जुलाई 2022 इन सभी विनियमों के सभी प्रावधानों का अनुपालन करना होगा। घी के फैटी एसिड के संबंध में इन विनियमों के राजपत्र में प्रकाशन के 2 वर्ष पश्चात् प्रवृत् होगें। जबकि प्रश्नगत घी (मिल्क फूड) का सैम्पल खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा 19.09.2022 को लिया गया एवं खाद्य प्रयोगशाला अजमेर एवं रेफरल लेबोरेट्री पुणे से जारी रिपोर्ट दिनांक क्रमशः 28.09.2022 एवं 30.12.2022 हैं। जिसमें फूड एनालिस्ट द्वारा नमूने की जांच में Fatty Acid Profile की जांच की गयी, जबकि उक्त जांच राजपत्र में प्रकाशन से 2 वर्ष पश्चात् प्रभावी होगी। इसी आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के नियम 2011 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर विपक्षीगण के विरूद्व कार्यवाही ड्रोप की जाती हैं।

आदेश की प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा एवं विपक्षीगणों को प्रेषित की जावे। आदेश आज दिनांक 13.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाडा

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)